

चौधरी चरण सिंह कावड मार्ग के निर्माण में जनपद गाजियाबाद के
अन्तर्गत अपर गंग नहर की दांयी पटरी के किमी० चैनेज 151.050 से
किमी० चैनेज 163.40 तक सडक के नवनिर्माण में स्तम्भ संख्या 11 के
निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

दिनांक 18.04.2021 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अंकित संरक्षित वन भूमि का निरीक्षण किया गया। स्थलीय एवं सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट से निम्न स्थिति स्पष्ट होती है।

स्तम्भ सं० 7वीं से 12 तक:- प्रश्नगत क्षेत्र में वनस्पतियों में/वन्य जन्तु में लुप्त पर्याय प्रजातियों का उल्लेख नहीं पाया गया। साथ पुरातत्विक/रक्षा अधिष्ठान में सम्बन्धित स्मारक क्षेत्र नहीं है।

स्तम्भ सं० 8:- प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

स्तम्भ सं० 9:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।